तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4625/2005/जयपुर** **सरकार बनाम हरनाथ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.2025	**एकलपीठ** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। –– **आदेश** 1– यह रेफरेंस जिला कलक्टर, जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 15–06–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिसल बंदोबस्त संवत 2015 से 2034 ग्राम निमेडा तहसील जयपुर के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा नंबर 439 रकबा 3 बिस्वा भूमि माफी ठाकुर जी पुजारी लालदास पुत्र बलदेव दास कौम ब्राह्मण सा0 जयपुर की खातेदारी में दर्ज थी तथा कॉलम 5 में सोहन, रूपा व महादेव, दामू पिता गोपी कौम जाट सा0 निमेडा दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात उक्त भूमि जरिये विरासत महादेव की नामान्तरकरण संख्या 68 से मांग्या, बल्या पिता महादेव के नाम दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण संख्या 327 के उक्त भूमि सोहन की विरासत छीतर पुत्र सोहन पिता महादेव के नाम दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण संख्या 327 के उक्त भूमि सोहन की विरासत से छीतर पुत्र सोहन व बरजी बेवा सोहन जाट व रूपा की विरासत से हरनाथ, म्होरू, चौथू पिता रूपा जाति जाट के नाम दर्ज की गई। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2056–59 में उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर	

	विवादित भूमि को पुनः माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम अंकित किया जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए उभयपक्षों की सुनवाई की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15-06-2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए प्रकरण मण्डल को प्रेषित किया। 3- अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक सूचना पत्र प्रेषित करने उपरान्त वह मण्डल न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। 4- विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी। 5- योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुर जी की थी, जिसे दौराने एकीकरण माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया तथा रेफरेन्स में अंकित आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह बिना किसी आधार व आदेश के किया गया है। माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। अतः विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज किए जाने योग्य है। अतः विवादित भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें। 6- विद्वान राजकीय अभिभाषक के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7- प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मिसल बंदोबस्त संवत 2015 से 2034 ग्राम निमेडा तहसील जयपुर के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा नंबर 439 रकबा 3 बिस्वा भूमि माफी ठाकुर जी पुजारी लालदास पुत्र बलदेव दास कौम ब्राह्मण सा0 जयपुर की खातेदारी में दर्ज थी तथा कॉलम 5 में सोहन, रूपा व महादेव, दामू पिता गोपी कौम जाट सा0 निमेडा दर्ज था। कालान्तर में	

	जमाबन्दी बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात उक्त भूमि जरिये विरासत महादेव की नामान्तरकरण संख्या 68 से मांग्या, बल्या पिता महादेव के नाम दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण संख्या 327 के उक्त भूमि सोहन की विरासत छीतर पुत्र सोहन पिता महादेव के नाम दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण संख्या 327 के उक्त भूमि सोहन की विरासत से छीतर पुत्र सोहन व बरजी बेवा सोहन जाट व रूपा की विरासत से हरनाथ, म्होरू, चौथू पिता रूपा जाति जाट के नाम दर्ज की गई। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2056-59 में उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार मंदिर माफी की भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण वह अवैध है। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की ही खुदकाश्त मानी जावेगी। केवल काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। आराजी मूर्ति मंदिर की मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। 8- अतः यह रेफरेंस स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया	

	जाकर विवादित भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण के खातेदारी के अंकन को हटाए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। रेफरेन्स में अंकित आराजी को पुनः 'माफी मंदिर श्री ठाकुर जी' के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। आदेश की सूचना अधिवक्ता को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश सुनाया गया। **(अजीत सिंह राजावत)** **सदस्य**	